मध्यप्रदेश राज्य के धार जिले के लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा कृषि वित्त प्राप्ति के स्त्रोत

डॉ. सीताराम सोलंकी
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य
श.भी.ना. शासकीय स्नाकोत्तर
महा विद्यालय, बड़वानी (म0प्र0)

ABSTRACT –

धार जिले में लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीजों को क्रय करने हेतु, कृषि यंत्रो व उपकरणो को क्रय करने के लिए, सिंचाई – सुविधाओ के विकास विस्तार के लिए, विद्युत बिलो के भूगतान के लिए, मजदूरो के भूगताान के लिए इत्यादि अनेकानेक कार्यो के लिए कृषि वित्त की प्रतिवर्ष आवश्यकता रहती हैं। सिंचाई

लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय सीमित रहती हैं। वे अपने स्वयं के साधनो से कृषि वित्त की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं।

कृषि लागत का उच्च होने तथा कृषि उपज के विक्रय मूल्यो की कमी होने के कारण इन छोटे तबके के कृषकों के पास बचत नहीं रहती हैं। अतः लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रतिवर्ष कृषि वित्त के गैर संस्थागत तथा संस्थागत स्त्रोतो का सहयोग लेना होता हैं।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में अनुसंधान की दैव निदर्शन पद्धति, सविचार व अवलोकन एवं सर्वेक्षण पद्धति के आधार पर संकलित प्राथमिक एवं द्वितीयक संमको का उपयोग किया गया।

प्राथमिक समंको को प्राप्त करने के लिए धार जिले के 10 विकासखण्डों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व के अनुसार चयनित 100 सीमान्त कृषक व 100 लघु कृषक कुल 200 कृषकों का साक्षात्कार करके प्रश्नावली के अनुसार सर्वेक्षण कार्य किया गया।

प्रस्तावना –

लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रतिवर्ष अपनी कृषि क्रियाओ को सम्पन्न करने हेतु गैर संस्थागत कृषि वित्त के स्त्रोत जैसे – साहूकार व महाजन, व्यापारी, बड़े भू–स्वामी, संबंधी व निजी फर्म, निजी

वित्तीय संस्थाएं तथा संस्थागत स्त्रोत जैसे – सहकारी साख समितियां, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, इत्यादि से ऋण लेना पड़ता हैं।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को गैर संस्थागत स्त्रोतो से 36% वार्षिक से लेकर 50% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो पाता हैं, जबकि संस्थागत स्त्रोतो से 7% वार्षिक ब्याज से लेकर 12% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता हैं।

धार जिले में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि वित्त प्राप्ति के स्त्रोत –

लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा लिये जाने वाले कृषि वित्त के स्त्रोतो को दो वर्गो में बांटा जा सकता हैं –

कृषि वित्त के स्त्रोत

गैर संस्थागत स्त्रोत	संस्थागत स्त्रोत
साहूकार व महाजन	राज्य सरकार
व्यापारी	सहकारी साख समितियॉ
भू–स्वामी (जमींदार)	भूमि विकास बैंक
संबंधी	व्यापारिक बैंक (राष्ट्रीयकृत बैंक)
देशी बैंकर्स	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
विभिन्न फर्म एवं संस्थाऍ	राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा निम्नानुसार गैर संस्थागत स्त्रोतो से कृषि वित्त प्राप्त किया जाता हैं।

I. गैर संस्थागत स्त्रोत –

1. साहूकार व महाजन –

भारत में साहूकार तथा महाजन का कृषि साख में महत्वपूर्ण स्थान रहा हैं। साहूकारों व महाजनों के यहॉ गदि्दयॉ होती हैं। इन गदि्दयो में प्रायः एक ही मुनीम, रोकड़िया अथवा कर्मचारी कार्य करते हैं। गॉवो में महाजन व साहूकार घर में ही बैठकर रूपये उधार देने का कार्य करते हैं। व्यक्तिगत सम्पर्क एवं व्यवहार के आधार पर इनकी सम्पूर्ण क्रियाऍ व लेने–देन की शर्ते सम्पन्न होती रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार के महाजन होते हैं –

(अ) पेशेवर महाजन – इनका मुख्य कार्य धन उधार देना होता हैं। ये कभी–कभी कृषि उपजों का क्रय–विक्रय भी करते हैं। ये ऋणियों की स्थिति एवं उनकी कमजोरियों से परिचित रहते हैं, अतः जोखिम उठाकर भी ऋण दे देते हैं।

(ब) कृषक महाजन – ये मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं, किन्तु आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होने के कारण धन उधार देने का कार्य भी करते हैं।

ये व्यक्तिगत जमानतों और ऋण वापस करने की मौखिक प्रतिज्ञाओं पर अल्पकालीन ऋण और आभूषण, भूमि और मकान आदि प्रतिभूतियों पर दीर्घकालीन ऋण देते हैं। गांवो में भूमिहीन खेतीहर मजदूर और छोटे किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस वर्ग पर ही निर्भर हैं।

2. व्यापारी – छोटे किसान अपनी साख संबंधी आवश्यकताओं को व्यापारियों से भी पूरा करते हैं। ये कृषकों को फसल पकने के पूर्व उत्पादन एवं गैर उत्पादक उद्देश्यो के लिये वित्त उपलब्ध कराते हैं। व्यापारी प्रायः अल्पकालीन ऋण इस शर्त पर देते हैं कि उत्पादन उनको ही विक्रय किया जायेगा।

3. भू–स्वामी (जमींदार) – लघु एवं सीमान्त कृषक पर्याप्त प्रतिभूति के अभाव में अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति जमींदारो से भी करता रहा हैं। ऋण प्रायः आभूषण, बर्तन, भूमि, मकान आदि गिरवी रखकर लिये जाते हैं। वस्तुओं के 40 से 70 प्रतिशत मूल्य तक ऋण प्राप्त हो जाते हैं।

4. संबंधी – छोटे कृषक अपनी साख संबंधी आवश्यकताओं को अपने मित्र, परिचितों व रिश्तेदारों से भी पूर्ण करते हैं। इन ऋणो की यह विशेषता होती हैं कि इन ऋणो पर महाजन व व्यापारियों की अपेक्षा ब्याज दर कम होती हैं या होती ही नहीं व ऐसे ऋण गोपनीय रहते हैं।

5. देशी बैंकर्स – केन्द्रीय बैंकिग जांच समिति के अनुसार ''व्यापारिक बैंक, विनिमय बैंक एवं सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति या फर्में जो हुण्डियों का व्यवसाय करती हो, ऋण देती हो या जमा स्वीकार करती हो, देशी बैंकर कहलाती हैं।''

जिनका मुख्य कार्य बैंकिग हैं, जो अपने बैंक कार्य के साथ व्यापार एवं कमीशन का कार्य भी करते हैं, जो मुख्यतः व्यापारी एवं कमीशन एजेंट हैं, परन्तु बैंक का कार्य भी करते हैं।

देशी बैंकर्स का संगठन एक पारिवारिक फर्म के रूप में होता हैं। ये कृषकों को सभी प्रकार की प्रतिभूतियों जैसे – सोना आभूषण, जमीन, हुण्डियो, प्रतिज्ञापत्रो के विरूद्ध ऋण देते हैं।

6. विभिन्न फर्म एवं संस्थाएँ – किसान इन फर्मो एवं संस्थाओ से व्यक्तिगत जमीन या अन्य प्रतिभूति के आधार पर ऋण प्राप्त करते हैं। ये फर्में एवं संस्थाएं प्रायः जमा स्वीकार करने, हुण्डियों में व्यापार करने एवं उधार देने के कार्य करती हैं।

स्वतंत्रता के समय गैर संस्थागत स्त्रोत कृषि वित्त प्रदान करने वाले मुख्य स्त्रोत रहैं हैं। 1951 में जब भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरूआत की गई। उस समय कुल कृषि वित्त में इसका हिस्सा 71.6 प्रतिशत था। गैर संस्थागत स्त्रोतो की इस अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका का मुख्य कारण यह था कि संस्थागत ऋण व्यवस्था अभी अविकसीत थी अर्थात किसानो के पास गैर संस्थागत स्त्रोतो से ऋण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वे किसानो का कई तरह से शोषण करते थे। ब्याज की दर 35 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत वार्षिक। वे खातो में हैंराफेरी करते थे। ऋण की राशि को बढ़ा–चढ़ाकर लिखना, जमीन हड़पना, किसान समय के साथ भूमिहीन श्रमिक बन कर रह जाते थे, फिर भी ऋण चुकता नहीं था। इससे ऋण का बोझ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था और ऋण के भार के नीचे किसान व उसकी अगली पीढ़ीया बंधुआ मजदूरो की–सी जींदगी बिताते हैं।

II. संस्थागत स्त्रोत –

लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा गैर संस्थागत स्त्रोतों के अलावा निम्नानुसार संस्थागत स्त्रोतो से भी कृषि ऋण प्राप्त किया जाता हैं –

1. **सरकार** – सरकार द्वारा कृषकों को कृषि कार्यो के लिए दिये जाने वाले ऋण को तकाबी ऋण कहते हैं। तकाबी से तात्पर्य उन दिये गये ऋणो से हैं जो सरकार द्वारा कृषकों को फसल की बुआई के समय दिया जाता हैं, और फसल की कटाई के समय वसूल किया जाता हैं। ये ऋण प्रायः प्राकृतिक प्रकोप जैसे – अकाल, बाढ़ या अन्य संकटो के समय दिये जाते हैं।

2. **सहकारी साख समितियॉ** – भारत में सहकारी समितियों की शुरूआत सन् 1904 में की गई। स्वतंत्रता से पहले सहकारी समितियो का विकास बहुत धीमी गति से हुआ। परन्तु स्वतंत्रता के बाद सरकार के प्रयासो द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना में तेजी आई। दस अथवा दस से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार की समिति की स्थापना के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास आवश्यक विवरण भेजकर समिति का रजिस्ट्रेशन करवाना होता हैं। सहकारी समितियॉ साधारणतया उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण देती हैं। समिति द्वारा ऋण उधार लेने वाले की शोधन क्षमता को ध्यान में रखकर ही दिया जाता हैं जो सामान्यतः उसकी व्यक्तिगत सम्पति के मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता।

भारत में सहकारिता आंदोलन का ढांचा त्रिस्तरीय हैं –

(i) प्राथमिक समितियॉ (ग्रामीण स्तर पर)

(ii) केन्द्रीय सहकारी बैंक (जिला स्तर पर)

धार जिले में विकासखण्डवार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं की स्थिति

तालिका क्र. 01

क्र.	विकासखण्ड	शाखा संख्या	शाखाओं का विवरण
1	बदनावर	06	कानवन, बदनावर, बिड़वाल, नागदा, दसई, केसूर
2	बाग	01	बाग
3	डही	01	डही
4	धार	02	धार (राजवाड़ा) तिरला, केसूर
5	धरमपुरी	03	धामनोद, धरमपुरी, सुन्द्रेल
6	गंधवानी	02	गंधवानी, अमझेरा
7	कुक्षी	03	कुक्षी, बाग, डेहरी
8	मनावर	02	मनावर, सिंघाना
9	नालछा	03	बगड़ी, दिग्ठान, सागौर
10	निसरपुर	01	निसरपुर
11	सरदारपुर	05	अमझेरा, सरदारपुर, राजगढ़, राजोद, दसई
12	तिरला	01	तिरला
13	उमरबन	01	बाकानेर
योग		**31**	
स्त्रोत – अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया – धार, वर्ष 2007।			

तालिका क्र. 01 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक धार की शाखाओं को विकासखण्डवार दर्शाया गया हैं। उक्त तालिका से ज्ञात होता हैं कि जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की 31 शाखाएं संचलित हैं।

(iii) राज्य सहकारी बैंक (राज्य स्तर पर)

राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से प्राथमिक सहकारी, केन्द्रीय सहकारी समितियों को अधिकाधिक सहायता पहुॅचाता हैं, जिससे वे सदस्यों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

3. भूमि विकास बैंक – कृषि रॉयल कमीशन 1928 एवं केन्द्रीय बैंकिग जांच समिति के सुझावो के अनुसार देश में भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई। इन्हैं भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता हैं।

इन बैंकों का तीव्र विकास तृतीय पंचवर्षीय योजना के साथ हुआ। राज्य स्तर पर ''राज्य भुमि विकास बैंक'' जिला स्तर पर ''जिला भूमि विकास बैंक'' एवं तहसील स्तर पर ''प्राथमिक भुमि विकास बैंक'' गठित किये गये हैं।

इन बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों को भुमि विकास कार्यो जैसे – सिंचाई के लिये नालियो व कुओं का निर्माण, पम्पिंग सेट लगवाने, ट्रैक्टर, पावर– टिलर्स, थ्रेसर आदि मशीनों के क्रय के लिए दीर्घकालीन ऋण स्वीकार करना हैं। भूमि विकास बैंक कृषकों को पुराने कर्जो से मुक्ति भी दिलाते हैं। भूमि विकास बैंक कृषकों की भुमि को बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करते हैं। यह बैंक कृषकों की भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थायी संपत्ति जैसे – भवन बंधक रखकर भी ऋण स्वीकृत करते हैं। बंधक रखी गई संपत्ति की 50 प्रतिशत कीमत राशि ऋण के रूप में स्वीकार की जाती हैं। ऋण स्वीकृति की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होती हैं।

धार जिले में विकासखण्डवार भूमि विकास बैंक शाखा की स्थिति

तालिका क्र. 02

क्र.	विकासखण्ड	शाखा संख्या	शाखाओं का विवरण
1	बदनावर	02	बदनावर, नागदा
2	बाग	–	–
3	डही	01	डही
4	धार	01	धार
5	धरमपुरी	01	धरमपुरी
6	गंधवानी	02	गंधवानी, अमझेरा
7	कुक्षी	01	कुक्षी
8	मनावर	01	मनावर
9	नालछा	01	बगड़ी
10	निसरपुर	–	–
11	सरदारपुर	02	सरदारपुर, राजगढ़
12	तिरला	01	तिरला
13	उमरबन	01	धरमपुरी
योग		**14**	
स्त्रोत – अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया – धार, वर्ष 2007।			

तालिका क्र. 02 में जिले की भूमि विकास बैंक की शाखाओं को विकासखण्डवार दर्शाया गया हैं। उक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि जिले में भूमि विकास बैंक की 14 शाखाऍ हैं।

4. व्यापारिक बैंक (राष्ट्रीयकृत बैंक) – ग्रामीण साख की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और उसमें व्यापारिक बैंकों की अतयन्त सीमित भूमिका के कारण सरकार ने जुलाई 1969 मं 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1980 में छः और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रो में बहुत

सी शाखाएँ खोली और ग्रामीण शाख में अपने योगदान में काफी वृद्धि की। बैंकों के सामने सरकार ने ऋण देने के लिए कुछ लक्ष्य रखे। उदाहरण के लिए यह लक्ष्य रखा गया कि कृषि संबंध क्षेत्रो को कुल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत दिया जाएगा।

ग्रामीण ऋण प्रदान करने में बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। इससे किसानो के कृषि ऋण के बढ़ते हुए पैमाने पर अपनाने का अवसर मिला हैं, व कृषि निवेश को बढ़ाया जा सका हैं। अध्ययन के अनुसार बैंकों की शाखाओं के तेज प्रसार से उर्वरकों की मांग में लगभग 23 प्रतिशत, ट्रैक्टरो के निवेश स्तर में 13 प्रतिशत, सिंचाई– पम्पो के निवेश में 41 प्रतिशत, दुधारू पशुओं में 46 प्रतिशत तथा भारवाही पशुओं में लगभग 38 प्रतिशत वृद्धि हुई हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार से हाल के वर्षो में कृषि विकास व आधुनिकीकरण में सहायता मिली हैं। इसके अलावा बहुत से ग्रामीणों को महाजनो के चंगुल से छुटकारा मिला हैं।

धार जिले में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं की स्थिति

तालिका क्र. 03

क्र.	राष्ट्रीयकृत बैंक	शाखा संख्या	शाखाओं का विवरण
1	इलाहबाद बैंक	01	धार
2	बैंक ऑफ बड़ौदा	01	धार
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	08	धार, गुणावद, खलघाट, सुन्द्रेल, बरमंडल, दसई, राजोद, राजगढ़
4	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	04	धार, धामनोद, गुजरी, दिग्ठान
5	सिंडिकेट बैंक	02	नालछा, बगड़ी
6	देना बैंक	03	नागदा, बखतगढ़, धार
7	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	04	टांडा, धार, सागौर, कुटी
8	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	13	बदनावर, कोद, बिड़वाल, धार, धामनोद, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, पिथमपुर, राजगढ़, तिरला, बाकानेर, पिपलीबाजार/क्लेक्टोरेट
9	कार्पोरेशन बैंक	01	धार
10	पंजाब नेशनल बैंक	01	धार
11	बैंक ऑफ इंडिया	18	
	योग	**56**	
स्त्रोत – अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया – धार, वर्ष 2007।			

तालिका क्र. 03 में जिले की राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं को दर्शाया गया हैं। उक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि वर्ष 2007 की स्थिति में जिले में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं की संख्या 56 हैं।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत सरकार, राज्य सरकार और व्यापारिक बैंकों के संयुक्त प्रयास से हुई हैं। जहां भी संस्थागत कृषि साख की व्यवस्था अपर्याप्त हैं

लेकिन कृषि विकास की सम्भावनाइएं काफी हैं, वहॉ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाते हैं। इनकी विशेष जिम्मेदारी हैं कि ये समाज के कमजोर वर्गो (छोटे व सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर, दस्तकार इत्यादि) को वित्त प्रदान करें। देश में पहली बार 1975 में इस तरह के 5 बैंक स्थापित किए गए थे। बाद में इसकी संख्या बढ़कर 196 हो गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रो में साख व बैंकिग सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहैं हैं। इनकी शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रो में खोली गई हैं जहां पहले बैंकिग सुविधाएं नहीं थी। यह एक ऐसी बैंकिग संस्था हैं जो ग्रामीण परिवारो के सबसे नजदीक हैं। क्योंकि इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गो की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना हैं।

धार जिले में विकासखण्डवार झाबुआ–धार क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थिति

तालिका क्र. 04

क्र.	विकासखण्ड	शाखा संख्या	शाखाओं का विवरण
1	बदनावर	07	भैंसोला, नागदा, तिलगारा, बदनावर, कड़ोदकला, ढोलाना, गाजनोद
2	बाग	02	बाग, टांडा
3	डही	02	पड़ियाल, डही
4	धार	04	त्रिमुर्तिनगर, धार, घाटाबिल्लौद, पिथमपुर
5	धरमपुरी	03	धरमपुरी, सेमल्दा, धामनोद
6	गंधवानी	03	गंधवानी, अमझेरा, जीराबाद
7	कुक्षी	03	कुक्षी, डही, आली
8	मनावर	04	मनावर, सिंघाना, अजन्दा, गणपुर
9	नालछा	02	देदला, नालछा
10	निसरपुर	05	निसरपुर, अम्बाड़ा, लुहारी, पिपलीया, रिंगनोद
11	सरदारपुर	06	राजगढ़, धुलेट, लाबरिया, सरदारपुर, राजोद, रिंगनोद
12	तिरला	03	बोधवाड़ा, सलकनपुर, आहु
13	उमरबन	06	बाकानेर, लुन्हेरा, काली बाबड़ी, उमरबन, टवलई
योग		**50**	
स्त्रोत – अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया – धार, वर्ष 2007।			

तालिका क्र. 04 में जिले की झाबुआ–धार क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की शाखाओं को विकासखण्डवार दर्शाया गया हैं। उक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि जिले में झाबुआ–धार क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की 50 शाखाएं संचालित हैं।

सन्दर्भ –

- जिला सांख्यिकी पुस्तिका – कलेक्टर कार्यालय, धार
- साक्षात्कार प्रश्नावली सूची
- कृषि जगत – भोपाल, पत्रिका
- स्थानीय समाचार पत्र
- उपसंचालक कृषि कार्यालय, धार (म0प्र0)
- साख पुस्तिका – जिला अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया – धार